न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक

(गौरव अग्रवाल, आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 3/2017
प्रविष्टि दिनांक 16–6–2017

सरकार जरिए तहसीलदार उनियारा जिला– टोंक

–प्रार्थी

बनाम

1–बसंत कुमार पुत्र रामदेवा जाति माली निवासी चौरू तहसील उनियारा जिला–टोंक
2–अर्जुनलाल पुत्र रामदेवा जाति माली निवासी चौरू तहसील उनियारा जिला–टोंक
3–कान्ता बाई पुत्री रामदेवा जाति माली निवासी चौरू तहसील उनियारा जिला–टोंक
4–कलावती पुत्री रामदेवा जाति माली निवासी चौरू तहसील उनियारा जिला–टोंक
5–घीसी बाई बेवा रामदेवा जाति माली निवासी चौरू तहसील उनियारा जिला–टोंक

– विपक्षीगण

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत नामान्तरकरण सं0 329 निर्णय दिनांक 26.06.2015 को निरस्त करने बाबत।

उपस्थिति (1) श्री जुगनू शर्मा राजकीय अभिभाषक
(2) श्री बसन्त जैन अप्रार्थीगण की ओर से

अभिशंषा

दिनांक 15–3–2021

यह आवेदन तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदन का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि ग्राम सहीदाबाद के नामा0 संख्या 329 निर्णय दिनांक 26.06.2015 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा के वाद संख्या 19/13 निर्णय दिनांक 04.12.2014 उनवान बसन्त कुमार वगैराह बनाम सरकार की इजराय 487 दिनांक 12.03.2015 की पालना में भरा गया था. लेकिन नामान्तरकरण का जमाबन्दी में अमल होने पर ग्राम का रकबा बेशी होता हैं। इसलिए नामान्तरकरण सं0 329 ग्राम सहीदाबाद को निरस्त करने की अभिशंषा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिए नोटिस विपक्षीगण की गई। अभिभाषक विपक्षीगण की बहस एवं राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस सुनाई एंव लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:16:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस/लिखित बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया कि विवादित भूमिं ग्राम सहीदाबाद के आराजी खसरा नम्बर 186 रकबा 1.45 है0 जो मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के ग्राम चौरू के आराजी खसरा नम्बर 2581 रकबा 1.45 है0 जो भू–प्रबन्ध के पूर्व के खसरा नम्बर 881 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा के अनुसार वर्तमान रकबा 1.45 है0 के स्थान पर 2.73 है0 यानि 1.28 है0 बढाया गया है। उपखण्ड अधिकारी उनियारा के वाद संख्या 19/13 के निर्णय में कही पर भी यह उल्लेख नही है कि वर्तमान खसरा नम्बर का रकबा गत के मुकाबले 1.28 है0 बढाया गया है जो किस खसरा नम्बर का रकबा 1.28 है0 कम करके खसरा नम्बर 186 का रकबा 1.45 है0 के स्थान पर 2.78 है0 किया गया। जिससे पूरे ग्राम का रकबा बढ गया है जो नियमानुसार सही नही है। यह कि खसरा नम्बर 186 का रकबा 1.45 के स्थान पर 2.73 हो जाने से ग्राम सहीदाबाद का कुल रकबा 1.28 है0 बढ गया ग्राम का रकबा बढ जाने से तहसील का कुल रकबा 1.28 है0 बढ गया। इस प्राकार जिले का रकबा बढेगा जो विधि सम्वत नही है।ग्राम का साबिक खसरा नम्बर 881 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा जो मुताबिक मिलान क्षैत्रफल के हाल खसरा नम्बर 2581 रकबा 1.45 है0 है ग्राम चौरू से नया राजस्व ग्राम सहीदाबाद बनने से 2581 हाल खसरा नम्बर 186/1.45 बना है। मननीय न्यायालय की डिकी व इजराय की पालना में ग्राम सहीदाबाद में नामान्तकरण संख्या 329 स्वीकार हो चुका है, लेकिन नामान्तकरण का जमाबन्दी में अमल होने पर ग्राम का रकबा बेशी होता है। इसलिए नामान्तकरण 329 ग्राम सहीदाबाद को निरस्त करने की अभिशंषा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाने का श्रम करें। रेफरेन्स दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों पर पूरी तरह साबित होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी रेफरेन्सकर्ता ने स्वंय की गलती छुपाने व पूरे गॉव एंव दोनो नये व पुराने ग्राम के रेवेन्यु रिकार्ड की पुनः नये सिरे से जॉच करने की मेहनत से बचने के लिए गलत आधार पर रेफरेन्स आवेदन पेश किया है तथा अप्रार्थीगण को नाजायत परेशान किया जा रहा है। अतःरेफरेन्स खिलाफ कानून होने से चलने योग्य नहीं है। नामान्तरकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा के वाद सं0 19/13 के निर्णय के आधार पर भरा गया है तथा उपखण्ड अधिकारी उनियारा के निर्णय व डिकी विधि की दृष्टि से अपीलेबल आदेश की श्रेणी में आता है, जिसकी कोई अपील प्रार्थी तहसीलदार उनियारा द्वारा नहीं की गई है। उपखण्ड अधिकारी उनियारा के निर्णय व डिकी की पालना में नामान्तरकरण भर कर तस्दीक किया जा चुका है एंव इस प्रकार न्यायालय के आदेश की पालना की जा चुकी है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर नियमानुसार दोनों पक्षों को सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध अस्तावेजों का अवलोकन कर साबिक शीट व हाल शीट का ओवरलेप कर यह साबित माना हे कि आराजी खसरा नम्बर 881 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 2581 व नवीन खसरा नम्बर 186 कर रकबा नवीन राजस्व शीट में 2.73 हेक्टर जाहिर है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अपने जवाब वाद पत्र में अंकित किया है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का चोरू के साबिक खसरा नम्बर 881 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा ग्राम चोरू के हाल खसरा नम्बर [illegible] 1.45 है0 बना है तथा ग्राम चोरू में से सईदाबाद नवीन राजस्व ग्राम [illegible] 2581 रकबा 1.45 है0 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:16:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

ग्राम सईदाबाद में नया खसरा नम्बर 186 रकबा 1.45 है0बना है। मुताबिक रिपोर्ट खसरा नम्बर 186 रकबा 1.45 है0 के स्थान पर 2.73 है0 बनता है, मौके पर भी खेत 2.73 है0 का बना हुआ है। जिससे यह साबित है कि सेटलमेंट विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वादी के रकबे में कमी की है, जो राजस्व रिकार्ड ने दरूस्ती योग्य मानते हुए रिकार्ड में दुरूस्त करने के आदेश फरमाये हैं तथा प्रार्थीगण का वाद डिक्री किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज किये जाने योग्य है।

राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि ग्राम सहीदाबाद के नामा0 संख्या 329 निर्णय दिनांक 26.06.2015 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा के वाद संख्या 19/13 निर्णय दिनांक 04.12.2014 उनवान बसन्त कुमार वगैराह बनाम सरकार की इजराय 487 दिनांक 12.03.2015 की पालना में भरा गया था. लेकिन नामान्तरकरण का जमाबन्दी में अमल होने पर ग्राम का रकबा बेशी होता हैं। इसलिए नामान्तरकरण सं0 329 ग्राम सहीदाबाद को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। उपखण्ड अधिकारी उनियारा के निर्णय व डिक्री विधि की दृष्टि से अपीलेबल आदेश की श्रेणी में आता है, जिसकी कोई अपील प्रार्थी तहसीलदार उनियारा द्वारा नहीं की गई है। उपखण्ड अधिकारी उनियारा के निर्णय व डिक्री की पालना में नामान्तरकरण भर कर तस्दीक किया जा चुका है एंव इस प्रकार न्यायालय के आदेश की पालना की जा चुकी है। तहसीलदार द्वारा पूरे गॉव एंव दोनो नये व पुराने ग्राम के रेवेन्यु रिकार्ड की पुनः नये सिरे से जॉच करने की कार्यवाही नही कर गलत आधार पर रेफरेन्स आवेदन पेश किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

फलतः तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स प्रकरण अस्वीकार किया जाता है।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:16:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner